RNI: RAJBIL/2014/64287
ISSUE (अंक)-2021-07

Estd. in 2008
''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

मैं एक मनुष्य हूँ और जो कुछ भी मनुष्यता को प्रभावित करता है उसी से मेरा मतलब है।

– सरदार भगतसिंह

Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

Jayoti Muhim

मासिक समाचार पत्र
July, 2021

अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि (22 जुलाई 1973-6 जून 2021)

(1973-2021)

6 जून 2021

हमारे प्रेरणाश्रोत, हमारे गुरु, हमारे रक्षक और हम सबके अत्यधिकप्रिय परम सम्माननीय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्विद्यालय के संस्थापक और सलाहकार डॉक्टर पंकज गर्ग जी का 6 जून 2021 को असामयिक निधन समस्त ज्योति विद्यापीठ परिवार के लिए नहीं अपितु भारतवर्ष की हज़ारो बिटियों के लिए भी एक अपरिपूर्ण क्षति हैं !! उनका इस तरह से चले जाना अविश्वनीय हैं अतिदुर्भाग्यपूर्ण हैं। विश्विद्यालय समस्त परिवार अति

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया

''योग भारत की प्राचीन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है; मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन- शैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आयें एक अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं।''

– नरेन्द्र मोदी, संयुक्तराष्ट्र महासभा

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था जिसमे विश्वविद्यालय और आयुष मंत्रालय के साथ मिल कर योग के कार्यक्रम रेडियो पर चलाये गये और लोगो के मन में योग प्रति जागरूक किया, कार्यक्रम पिछले तीन माह से रेडियो के जरीये ग्रामीण क्षेत्र में चला गया जिसमे ग्रामीण क्षेत्र के लोगो ने घर पर योगा किया गया जिसमे लोगो को बताया गया की कैसे योग हमारे शरिर की लिए बहुत जरूरी है या साथ साथ रेडियो पर लाइव कार्यक्रम किए गए और विश्वविद्यालय की बालिकाओं ने ऑनलाइन लाइव के जरीये कार्यक्रम में भाग लिया इसके साथ साथ बालिको ने अपने परिवार घर के साथ से योग किया या उसकी तस्वीरे शेयर की। कोरोना की सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया किया गया

RNI: RAJBIL/2014/64287
ISSUE (अंक)-2021-07

World Food Safety Day

World Food Safety Day (WFSD) celebrated on 7 June 2021 aims to draw attention and inspire action to help prevent, detect and manage foodborne risks, contributing to food security, human health, economic prosperity, agriculture, market access, tourism and sustainable development. This year's theme, 'Safe food today for a healthy tomorrow', stresses that production and consumption of safe food has immediate and long-term benefits for people, the planet and the economy. Recognizing the systemic connections between the health of people, animals, plants, the environment and the economy will help us meet the needs of the future. Recognizing the global burden of foodborne diseases, which affect individuals of all ages, in particular children under-5 and persons living in low-income countries, the United Nations General Assembly proclaimed in 2018 that every 7 June would be World Food Safety Day. In 2020, the World Health Assembly further passed a resolution to strengthen global efforts for food safety to reduce the burden of foodborne disease. WHO and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) jointly facilitate the observance of World Food Safety Day, in collaboration with Member States and other relevant organizations.

Food safety is a shared responsibility between governments, producers and consumers. Everyone has a role to play from farm to table to ensure the food we consume is safe and healthy. Through the World Food Safety Day, WHO works to mainstream food safety in the public agenda and reduce the burden of foodborne diseases globally. Food safety is everyone's business.

World Oceans Day

The concept of a World Oceans Day was first proposed in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro as a way to celebrate our world's shared ocean and our personal connection to the sea, as well as to raise awareness about the crucial role the ocean plays in our lives and the important ways people can help protect it.

To raise awareness about the role the United Nations and international law can play in the sustainable development and use of the oceans and their living and non-living resources, the UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) is actively coordinating different activities of the World Oceans Day.UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) coordinates in partnership with DOALOS the official United Nations World Oceans Day Portal, which is instrumental in building support for ocean awareness events on 8 June.

We celebrate World Oceans Day to remind everyone of the major role the oceans have in everyday life. They are the lungs of our planet, providing most of the oxygen we breathe. The purpose of the Day is to inform the public of the impact of human actions on the ocean, develop a worldwide movement of citizens for the ocean, and mobilize and unite the world's population on a project for the sustainable management of the world's oceans. They are a major source of food and medicines and a critical part of the biosphere. In the end, it is a day to celebrate together the beauty, the wealth and the promise of the ocean. World Oceans Day 2021- This year's # UN World Oceans Day theme, 'The Ocean: Life and Livelihoods', has shed light on the wonder of the ocean and how it is our life source, supporting humanity and every other organism on earth. The UN Global Celebration on 8 June brought together thought-leaders, celebrities, institutional partners, community voices, entrepreneurs, and cross-industry experts to showcase the biodiversity and economic opportunity that the ocean sustains. A global call for citizens to explore and learn about our reliance on ocean resources, how the ocean is changing, and what we can do to create sustainable and inclusive livelihoods, for the ocean and all who depend on it to thrive.

लगात्तार बढ़ रही भीड़तंत्र द्वारा हिंसा

(Article by Prity Ranolia)

भीड़तंत्र यानि की लोगो के झुण्ड द्वारा गैर कानूनी रूप से किसी शक में या फिर किसी गलतफ़हमी के कारण बिना क़ानून के दोषी ठहराए किसी व्यक्तिकी पीट पीट कर हत्या कर देना। पिछले कई वर्षो से भीड़तंत्र की समस्या अत्यधिक देखने को मिल रही है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस के सामने ही एक हत्या के आरोपी की लोगो की एक भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गयी । इन सब घटनाओ को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोगो के अंदर गलत काम करते हुए पुलिस और कानून का कोई खौफ ही नहीं है। लोगो को अब कानून को अपने हाथ में लेने से भी डर नहीं लगता है। सबसे अधिक मोब लॉन्चिंग की घटनाये सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों ,शक एवं झूठी ख़बरों के कारण होती है। सोशल मीडिया के इस गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के प्रयास भी किये है जैसे व्हाट्सप्प पर पहले हम 20 लोगो को एक साथ कोई भी सन्देश भेज सकते थे लेकिन इस तरह की अफवाहों को देखते हुए और इनसे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया गया है और अब इंडिया में लोग एक सन्देश को एक बार में केवल 5 लोगो को ही भेज सकते है हालाँकि सरकार को इसे रोकने के लिए और भी बड़े कदम उठाने होंगे परन्तु यह भी इस तरह की हिंसा को रोकने की शुरुआत है। भीड़तंत्र की इस हिंसा को बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों को नए नियम बनाने और इस समस्या पर गंभीर रूप से विचार करने के आदेश दिए थे और मोब लिंचिंग करने वाले लोगो को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसमें अभी तक कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। मोब लिंचिंग को न ही भारतीय दंड संहिता, न ही सीआरपीसी और न ही भारतीय सविधान में भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगर पिछले कई सालो के भीड़तंत्र के आंकड़ों को देखे तो उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक मोब लॉन्चिंग की घटनाये देखने को मिलती है 2018 के पहले छह महीनो के भीड़तंत्र के आंकड़ों को देखे तो इसमें उत्तरप्रदेश में मोब लॉन्चिंग के कुल 18 केस सामने आये है और अब भी यह अपनी गति पर है। भीड़तंत्र को हमे भयावह और विशाल रूप लेने से पहले ही रोकना होगा वरना यह कोरोना महामारी की तरह हर तरफ तरफ तीव्र गति से फ़ैल जायेगा और फिर इसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जायेगा। जिस तरह परदा प्रथा एवं दहेज़ प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों ने अपनी गहरी जड़े जमा रखी है और उन्हें ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया है उसी तरह भीड़तंत्र भी समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगी।

पशुओं को लेकर , धर्म के नाम पर, बच्चो को उठाने के शक में एक दरिंदो के झुण्ड द्वारा किसी व्यक्तिकी बिना उसे दोषी ठहराए उसके साथ हिंसा करना उसे मरना ये कहा का न्याय है क्या पता उसने अपराध किया भी है या नहीं ? या फिर उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। इस तरह की दरिंदगी से न जाने कितने निर्दोष लोगो की जान गयी है ? इस तरह की हिंसा कानून और इंसानियत के सरासर खिलाफ है ।

अगर इसी तरह लगातार ये घटनाये बढ़ती रही तो एक दिन भीड़तंत्र लोकतंत्र पर भरी पड़ जायेगा और लोग कोर्ट कचहरी पर विश्वास करने की बजाये भीड़तंत्र को न्याय करने के लिए चुनेंगे और जिसमे किसी को भी उचित न्याय नहीं मिल पायेगा । इस भीड़तंत्र को बढ़ता देखकर लगता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो भारत एक दिन लोकतान्त्रिक देश की बजाय भीड़तांत्रिक देश बन जायेगा।

विश्व संगीत दिवस-

विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संगीत की विभिन्न खूबियों की वजह से ही विश्व में संगीत के नाम एक दिन है। यह संगीतज्ञों व संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। विश्व संगीत दिवस को 'फेटे डी ला म्यूजिक' के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई। इसको मनाने का उद्देश्य अलग-अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगैंडा तैयार करने के अलावे एक्सपर्ट व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है। विश्व में सदा ही शांति बरकरार रखने के लिए ही फ्राँस में पहली बार 21 जून सन् 1982 में प्रथम विश्व संगीत दिवस मनाया गया। इससे पूर्व अमेरिका के एक संगीतकार योएल कोहेन ने 1976 में इस दिवस को मनाने की बात की थी। विश्व संगीत दिवस कुल 17 देशों में ही मनाया जाता है इसमें भारत, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, लक्समवर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कोस्टारीका, इजाराइल, चीन, लेबनाम, मलेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, फ़िलीपींस, रोमानिया और कोलम्बिया शामिल हैं। विश्व संगीत दिवस के अलावा इसे सगीत समारोह के रूप में भी जाना जाता है। यह एक तरह से संगीत त्यौहार है, जिसे सारे देश में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। भारत में इस अवसर पर कहीं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो कहीं संगीत से भरे कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है।

संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। इसे बांधने के लिए विश्व की सीमाएं भी कम पड़ जाती हैं। संगीत दुनिया में हर मर्ज की दवा मानी जाती है। यह दुखी से दुखी इंसान को भी खुश कर देती है, संगीत का जादू एक मरते हुए इंसान को भी खुशी के लम्हे दे जाता है। संगीत दुनिया में हर जगह है। अगर इसे महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है कोयल की कूक, पानी की कलकल, हवा की सरसराहट हर जगह संगीत ही तो है बस ज़रूरत है तो इसे महसूस करने की। अपनी ज़िंदगी के व्यस्त समय से कुछ पल सुकून के निकालिए और महसूस कीजिए इस संगीतमय दुनिया की धुन को। संगीत मानव जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है। यह न सरहदों में कैद होता है और न भाषा में बंधता है। माना हर देश की भाषा, पहनावा और खानपान भले ही अलग हों, लेकिन हर देश के संगीत में सभी सात सुर एक जैसे होते हैं और लय-ताल भी एक सी होती है। संगीत हर इंसान के लिए अलग मायने रखता है। किसी के लिए संगीत का मतलब अपने दिल को शांति देना है तो कोई अपनी खुशी का संगीत के द्वारा इजहार करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत किसी रामबाण या ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। संगीत हर किसी को आनंद की अनुभूति देता है। संगीत के सात सुरों में छिपे राग मन को शांति देने के साथ ही रोगों को भी दूर करने में सहायक हैं। संगीतज्ञ पुरुषोत्तम शर्मा शास्त्रीय संगीत से तनाव व इसी से जुड़े अन्य रोग दूर कर रहे हैं। घनी आबादी के छोटे से घर में रहने वाले पुरुषोत्तम शर्मा के यहां काफ़ी लोग तनाव, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। वह अपने रोगियों को कोई दवा या व्यायाम नहीं कराते। केवल एकाग्र मन से राग सुनने की नसीहत देते हैं। पुरुषोत्तम शर्मा कहते हैं कि राग से रोग तो दूर होता ही है, रोगी में आत्मविश्वास भी भरता है।

राग में रोग निरोधक क्षमता

संगीतज्ञ पुरुषोत्तम शर्मा के मुताबिक़ हर राग में रोग निरोधक क्षमता है। राग पूरिया धनाश्री अनिद्रा दूर करता है, तो राग मालकौंस तनाव से निजात दिलाता है। राग शिवरंजिनी मन को सुखद अनुभूति देता है। राग मोहिनी आत्मविश्वास बढ़ाता है। राग भैरवी ब्लड प्रेशर और पूरे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित रखता है। राग पहाड़ी स्नायु तंत्र को ठीक करता है। राग दरबारी कान्हड़ा तनाव दूर करता है तो राग अहीर भैरव व तोड़ी उच्च रक्तचाप के लिए कारगर है। दरबारी कान्हड़ा अस्थमा, भैरवी साइनस, राग तोड़ी सिरदर्द और क्रोध से निजात दिलाता है। एलोपैथी में इसे मान्यता नहीं है। एलोपैथी के मुताबिक़ संगीत से रोग दूर नहीं होते। हालांकि व्यावहारिक रूप से कई लोगों को संगीत सुनने या पढ़ने से नींद आ जाती है।

समलैंगिकों को भी सारे अधिकार है

समलैंगिकों (लेस्बियन और गे) को हमारे समाज में हर कोई घिनौनी नज़र से देखता है। जिस पर लोग खुल कर बात भी नहीं करते है। इस तरह के सम्बन्ध को हमारा समाज नाजायज मानता है और इसे स्वीकार करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। उनके सम्बन्धो को लोग सरासर गलत समझते है और लोग उनसे वो सारे हक़ छीनना चाहते है जो एक साधारण व्यक्ति को होते है। अगर देखा जाये तो उनका सम्बन्ध गलत नहीं है जिस तरह हर इंसान की अपनी ज़िन्दगी खुद की मर्ज़ी से जीने का, किसी से भी प्यार करने का, किसी के भी साथ रहने कि इजाजत है उसी तरह समलैंगिक भी तो इंसान ही है उन्हें भी स्पष्ट रूप से ये सारे हक़ है। अब तो भारत सरकार द्वारा भी इनके सम्बन्धो को कानूनी तौर पर स्वीकृति दे दी गयी है लेकिन फिर भी हमारे समाज के ऐसे बहुत से लोग है जिन्होंने उन्हें न ही तो कभी उन्हें स्वीकार किया और न ही कभी आगे वो इस सम्बन्ध को स्वीकार करना चाहेंगे। अगर हम गौर से देखे तो समाज में बड़ी संख्या में ऐसे लोग है जो मानते है कि श्प्यार किसी से भी हो सकता है श लेकिन जब बात आये समलैंगिकों की तो क्यों उनकी सोच और नियम दोनों की बदल जाते है ? क्या उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वे किसी से भी प्यार कर सके, किसी को भी अपना जीवनसाथी चुन सके ?

क्यों उन पर हर वकूत हमारा समाज तंग कसता है ? क्यों उन्हें चौन से जीने नहीं दिया जाता ?क्या उन्हें कोई हक़ इसलिए नहीं कि उनका इस सम्बन्ध से कोई भविष्य नहीं है या उनके सम्बन्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा इसलिए या फिर उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए ? वंश बढ़ाना ही कोई प्यार नहीं होता। अगर समलैंगिक अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ खुश है तो इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले, खुद से अपना जीवनसाथी चुने, जिससे वो प्यार करता है उसके साथ रहने कि उसे छूट हो। लेकिन समलैंगिकों के मामले में ऐसा क्यों नहीं ? हमे कोई हक़ नहीं है कि हम किसी कि ज़िन्दगी में दखल दे। उनकी खुशियों को उनसे दूर करे या फिर किसी पर अवांछित टिप्पणी करे।

तो सब को स्वतंत्र जीने का हक़ है। सब अपनी ज़िन्दगी अपनी मर्जी से जी सकते है। हमे समलैंगिकों को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी सोच को विकसित करना होगा। क्योकि समलैंगिक होना कोई अपराध तो नहीं है अगर फिर भी लोग इसे अपराध मानते है तो समलैंगिक होना उनकी गलती तो नहीं है? जिस तरह हम बर्दाश नहीं कर सकते कि हमारे हक़ कोई हमसे छीने, उसी तरह समलैंगिक भी इस खुले आसमान में अपनी ज़िन्दगी स्वतंत्र, बेखौफ़ और आत्मसंवरण से जीना चाहते है।